श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर कर्मचारी संघ ने संघ के महासचिव श्री जी०सी० चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक कार्रवाई और स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के प्रबंधन द्वारा कथित अनुचित श्रम व्यवहार के संबंध में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), दिल्ली के समक्ष एक विवाद उठाया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में, किसी विवाचन अधिकारी अथवा किसी बोर्ड के समक्ष कोई विवाचन कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान अथवा किसी संराधन अधिकारी अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान कोई नियोक्ता, उस विवाद से संबद्ध किसी मामले को और ऐसे विवाद में संबंधित कामगार को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के लिए, ऐसी कार्यवाही को शुरू होने से ठीक पहले उन पर लागू सेवा शर्तों को परिवर्तित नहीं करेगा, ऐसे विवाद से संबंधित किसी कामगार को पदच्युति द्वारा अथवा अन्यथा सेवा मुक्त अथवा दण्डित नहीं करेगा, जब तक कि उस प्राधिकारी से लिखित रूप में स्पष्ट अनुमति प्राप्त न की जाए जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है।

(ग) और (घ) अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संराधन अधिकारी ने कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। प्रबंधन और संघ के बीच संराधन विफल हो चुका है और संराधन अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन यथा-अपेक्षित, केन्द्रीय सरकार को विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

Re-Trained Child Employees in Bidi Sector by NGO

3467. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any non-Governmental bodies re-trained children employed in the bidi sector;

(b) if so, the number of child labour thus removtd from the bidi sector;

(c) whether any state-wise figures are available for such child labour; and

(d) details of State-wise break-up?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Government have sanctioned 76 National Child Labour Projects to cover 1.5 lakh children in hazardous occupations including those working in bidi industry. Under this programme, children are withdrawn from work and diverted to the special schools wherein they are provided non-formal education, vocational training, mid-day meals, stipend etc. These projects have been sanctioned to the District Child Labour Project Societies who, in turn, are implementing them through various agencies including nongovernmental organisations. In addition, over 70,000 children are covered under the 1LO assisted International Programme for Elimination of Child Labour mainly through projects being implemented by NGOs.

(c) and (d) According to the Report on the Working and Living Conditions of workers in beedi industry in India published by the Labour Bureau, the incidence of child labour in Bidi Industry is 0.6% in Bihar, 2.6% in Orissa and 3.7% in West Bengal.

देश में उपभोक्ता मंच

3468. श्री एस० एस० सुरजेवाला:
श्री अजीत जोगी:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राज्य-वार कितने उपभोक्ता मंच (कंज्यूमर फोरम) गठित किये गये हैं;

(ख) जिला मंचों (फोरमों) को अब तक कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से राज्य-वार कितने मामलों/शिकायतों को निपटाया गया है;

(घ) इन मामलों को निपटाने में इन मंचों (फोरमों) के समक्ष आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) (राज्य वार) स्थापित

जिला उपभोक्ता मंचों तथा उनके चालू होने के समय से उनके द्वारा प्राप्त तथा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है (नीचे देखिए)।

(घ) और (ङ) जिला मंचों को मुख्य रूप से जिन अड़चनों का सामना करना पड़ता है वे अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, बार बार स्थगन और जिला मंचों के सदस्यों की अनियमित उपस्थिति आदि हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता अदालतों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समय का अनुदान जारी किया है। राष्ट्रीय आयोग ने भी राज्य आयोगों को मामलों के जल्दी निपटान के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला मंचों की संख्या	चालू होने के समय से दायर किए गए	चालू होने के समय से निपटाए गए	निम्नलिखित को समाप्त अवधि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	23	76355	63325	30/4/96
अरुणाचल प्रदेश	12	77	68	31/12/95
असम	23	3831	3005	30/4/96
बिहार	39	23362	13059	30/12/95
गोवा	2	1406	791	31/9/95
गुजरात	20	38921	21068	31/12/95
हरियाणा	16	37842	27928	31/7/96
हिमाचल प्रदेश	12	6595	5585	31/3/96
जम्मू व कश्मीर	2	5019	4782	31/12/95
कर्नाटक	20	33545	23469	30/9/95
केरल	14	68208	62295	30/6/96
मध्य प्रदेश	45	34935	23425	31/12/95
महाराष्ट्र	31	58380	42589	30/4/96
मणिपुर	8	611	601	30/9/95
मेघालय	7	141	77	30/6/96
मिजोरम	3	149	142	30/6/96
नागालैंड	7	13	6	30/9/94
उड़ीसा	31	13821	11698	30/6/96
पंजाब	13	10855	6996	30/9/94
राजस्थान	30	77302	66339	31/5/96
सिक्किम	4	51	43	31/12/95
तमिलनाडु	24	32413	26469	30/6/96
त्रिपुरा	3	518	429	30/6/96
उत्तर प्रदेश	66	91593	53159	31/12/95
पश्चिम बंगाल	17	19165	4982	31/12/95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	109	98	31/3/96

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	1	7996	4468	30/6/96
दादरा व नगर हवेली	1	20	10	30/6/96
दमण व दीव	2	32	16	30/9/94
दिल्ली	2	34194	24831	30/6/96
लक्षद्वीप	1	23	22	30/6/96
पांडिचेरी	1	1096	939	31/7/96

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3469. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण के उपयोग के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह ऋण कब तक प्राप्त हो जायेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने हाल ही में 43.3 मिलियन एस०डी०आर० (63 मिलियन अमरीकी डालर) के एक आई०डी०ए० ऋण की मंजूरी कोल इंडिया लिमिटेड की "कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक एकीकरण परियोजना" के लिए दी है। कोल इंडिया लि० को 25 विनिर्दिष्ट कोयला परियोजनाओं में पर्यावरण कार्य योजना, पुनर्वास कार्रवाई योजना, आदि को तैयार कर लिया गया है।

दिनांक 23 जुलाई, 1996 से पांच वर्षों की अवधि तक तिमाही आधार पर ऋण को प्राप्त किया जाएगा।

कोल इंडिया लि० ने "कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना" शीर्षक के अन्तर्गत एक परियोजना के लिए भी विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया है।

Constitutional Provision for Education of Children and Elimination of child Labour

3470. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether some demands have been made by some commissions that the Constitutional provisions of educating all children till the age of 14 and elimination of child labour be implemented;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action on these demands in national interest;

(d) if so, the details thereof; and

* (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) While no formal communicaion from any commission regarding implementation of the Constitutional provisions of educating all the children till the age of 14 and elimination of child labour has been received, the National Human Rights Commission (NHRC) in their Annual Report for the year 1994-95 had, inter alia, recommended (i) adoption of appropriate legislation on compulsory primary education matched with necessary resources required for the purpose and (ii) expeditious and effective implementation of child labour project